न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 279/15 **दायर दिनांक 03.09.2015**

1. इन्द्राज नाथ वल्द रतूनाथ जाति नाथ निवासी वार्ड न0 4 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. हरुनाथ
3. सुभाषनाथ } पिसरान रामनाथ
4. महावीर नाथ
5. जयमलनाथ } पिसरान जेठनाथ

} अकवाम नाथ निवासीयान चक 1 केएसपीएम तह0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

6. गिरधारी नाथ वल्द शेरनाथ अकवाम नाथ निवासीयान चक 1 केएसपीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. बृजलाल
2. तारुराम पिसरान मंगलाराम अकवाम नायक निवासीयान भोजेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 (2) आरटीए

उपस्थित :—

(1) श्री सोमप्रकाश शर्मा, श्री प्रमेन्द्र सिह भाटी, अभिभाषक प्रार्थी
(2) भगीरथ बिश्नोई अभिभाषक, अप्रार्थी
(3) पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ

निर्णय दिनांक 20.01.2020

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अ0धा0 183, 209 आरटीए प्रस्तुत किया व साथ ही प्रार्थना पत्र 212 (2) आरटीए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से चक 1 केएसपीएम तहसील सूरतगढ के खाता सं. 8 के प0न0 30/16 कि0न0 15, 16, 25 की 0.721 है0 नहरी, प0न0 30/24 कि0न0 9 ता 12, 19 ता 22/ 1.948 है0 नहरी, 31/17 कि0न0 1, ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.530 हे0 नहरी, प0न0 31/9 कि0न0 5, 6/0.506 है0 कुल 5.705 है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जामबन्दी समवत 2062 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

निवेदन किया कि उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम से रोही किशनपुरा के ख0न0 523 मे 23—06 बीघा भूमि थी जो कि चकबन्दी मे पैमूद होने पर चक 1 केएसपीएम के प0न0 30/16 कि0न0 15, 16, 25 की 0.721 है0 नहरी, प0न0 30/24 कि0न0 9 ता 12, 19 ता 22/ 1.948 है0 नहरी, 31/17 कि0न0 1, ता 3, 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.530 हे0 नहरी, प0न0 31/9 कि0न0 5, 6/0.506 है0 कुल 5.705 है0 कमाण्ड मे पैमूद हो गई। नकल सूचि नम्बर 4 संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के रिकार्डड खातेदार कृषक है व चक 1 केएसपीएम तहसील सूरतगढ खाता सं. 8 प0न0 31/17 कि0न0 3 की 0.253 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित है परन्तु उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण सं. 1 बृजलाल व 2 तारुराम चकबन्दी बनने के बाद मे सन् 2007 के बाद से कब्जा है। जिन्हे अतिकमी घोषित करवाकर प्रार्थीगण कब्जा पाने के विधिक रुप से अधिकारी है व प0न0 31/17 कि0न0 3 की 0.253 है0 भूमि का अप्रार्थीगण से कब्जा लेने हेतू प्रार्थीगण ने कहा तो वे टालमटोल करते रहे। प्रार्थीगण ने इस बाबत पंचायत की तो अप्रार्थीगण ने कहा कि कि0न0 3 के बजाय प0न0 30/24 का कि0न0 18 तुम्हारे नाम करवा देगे यह राजीनामा हुआ और अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा एक वाद पत्र श्रीमान

क्रमश : 2

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष दिनांक 21.06.2013 को प्रकरण सं. 150/13 अनवान बृजलाल बनाम इन्द्राज नाथ के नाम से प्रस्तुत किया गया परन्तु बाद मे अप्रार्थीगण के मन मे बदयान्ति आ गई और उन्होने दिनांक 05.08.2015 को अपना दावा वापस ले लिया। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करना चाहते है। अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र मे अंकित भूमि से फुट ऑफ दी लैण्ड उठाने का कतई अधिकार नही है। यह कि अप्रार्थीगण ससं. 1 व 2 प्रार्थीगण की चक 1 केएसपीएम तहसील सूरतगढ खाता सं. 8 प0न0 31/17 कि0न0 3 की 0.253 है0 भूमि पर सन् 2007 से प्रार्थीगण की इच्छा के विरुद्ध कब्जा कर रखा है जो कि अतिक्रमी की तारीफ मे आता है व निवेदन किया कि चक 1 केएसपीएम तहसील सूरतगढ खाता सं. 8 प0न0 31/17 कि0न0 3 की 0.253 है0 पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अतिक्रमी मानते हुये धारा 212 (2) आरटीए के तहत नगद प्रतिभूमि राशि 20,000/– रु प्रचलित ठेका राशि प्रतिवर्ष प्रतिबीघा के हिसाब से कायम की जाकर पिछले 8 वर्षो से प्रतिभूमि राशि जमा करवाने के आदेश दिये जावे, प्रतिभूति राशि जमा ना करवाने की सूरत मे तहसीलदार हराजस्व सूरतगढ को रिसीवर नियुक्त किया जावे तथा प्रार्थीगण के हित सुरक्षित हो सके।

अप्रार्थी ने अपने प्रस्तुत जबाब में कानूनी आपत्ति पैरा वाईज प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही किशनपुरा का रकबा चकबन्दी होने से हम प्रार्थीगण के कब्जा काश्त का किला प0न0 31/17 कि0न0 3 जिसके हम अप्रार्थीगण ने अपने नाम से घोषित करवाने के लिये वाद पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में अलग से प्रस्तुत कर रखा है जो अनवान बृजलाल आदि बनाम इन्द्राजनाथ आदि मे वाद सं. 232/15 पर दर्ज है तथा उक्त जेर प्रकरण रकबा पर प्रार्थीगण का रोही किशनपुरा मे हम अप्रार्थीगण के पिता के नाम सें था तथा कब्जा काश्त मे पुराना चला आ रहा था तथा निवेदन किया कि हम अप्रार्थीगणप0न0 31/17 कि0न0 3 पर जबरिया काबिज नहीं है। उक्त रकबा हमारे पिता मंगलाराम के नाम सें पैमूद किया था परन्तु प्रार्थीगण ने गैर कानूनी रुप सें अपने नाम से दुरुस्ती करवाकर फिट करवा लिया था। उक्त रकबा हम अप्रार्थीगण के ख0न0 26/3 में पैमूद होकर बना है तथा हमारे कब्जा काश्त में चला आ रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करनें का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली व दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया व ध्यान पूर्वक मनन किया गया। वर्तमान रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण चक 1 केएसपीएम खाता सं. 8 प0न0 31/17 कि0न0 3 की 0.253 है0 भूमि के खातेदार कृषक है। जिस पर अप्रार्थीगण का जबरिया कब्जा होना साबित है। अप्रार्थीगण ऐसा कोई ठोस साक्ष्य अपने पक्ष मे प्रस्तुत नहीं कर पाये है, प्राईमाफेसी केश प्रार्थीगण के हक मे साबित होता है तथा एक खातेदार कृषक अपनी खातेदारी भूमि के अपने फसल लाभ सें वंचित रह रहे है जिसकी क्षतिपूर्ति की जानी न्यायोचित है तथा अप्रार्थीगण अनुचित लाभ ना उठाये इसलिये धारा 212 (2) आरटीए के तहत वाद निर्णय तक यह अदालत अप्रार्थी सं. 1 व 2 बृजालाल व तारुराम को अतिक्रमी मानते हुये प्रतिभूति राशि प्रचलित ठेका दर राशि प्रतिवर्ष प्रतिबीघा के हिसाब सें दावा दायरी वर्ष 2015 सें वर्ष 2019 तक एक मुश्त 40,000/– रुपये तथा आगामी वर्ष 2020 के लिये 8,000/– कुल 48,000/– रुपये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ को बतौर प्रतिभूति राशि एक माह की अवधि मे जमा करावें, नीयत समय में प्रतिभूति राशि जमा ना होने की सूरत में तहसीलदार राजस्व सूरतगढ को रिसिवर नियुक्त किया जाकर भूमि को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसला शुमार होकर तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.28 16:06:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: